भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2059

उत्तर देने की तारीखः 11.03.2025

भीकू रामजी इदाते आयोग

2059. श्री राजेश रंजनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विमुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए वर्ष 2015 में भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विमुक्त घुमंतू जनजातियों से संबंधित लोगों को मनरेगा के अंतर्गत कोई भी जिला मजिस्ट्रेट जॉब कार्ड जारी नहीं कर सका;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उपरोक्त जनजातियों के लोगों को कब तक देश की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): जी, हां। भारत सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में श्री भीकू रामजी इदाते की अध्यक्षता में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों (एनसीडीएनटी) के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने दिसंबर, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्र सरकार ने फरवरी, 2019 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के लिए एक विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके अलावा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों के विकास और कल्याण के लिए विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्कीम (सीड) शुरू की है।

(घ) से (च): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 एक ऐसा अधिनियम है जिसका उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर-परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों, को कम से कम सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में घर-परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

जॉब कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों की होती है तथा विमुक्त घुमंतू जनजातियों से संबंधित लोगों को जॉब कार्ड नहीं दिए जाने की कोई विशिष्ट घटना ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में नहीं आई है।

******